# Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research

**Peer Reviewed - Refereed Journal**
**Impact Factor - 3.2, Open Access,**
**Double Blind, Monthly Online Journal**

EDITOR
PRASHANT KUMAR
PUBLISHED BY
International Scientific Research Solution
Web : www.isrs.in
Email : ncrd2016@gmail.com

Scanned with Oken Scanner

# CONTENTS


| S. No. | Paper Title | Author Name | Page No. |
|---|---|---|---|
| 1 | चतुर पंडित जी का भिन्न–भिन्न कलाकारों से सम्बंध स्थापित कर बंदिशों का संकलन करना | अंजली कनौजिया | 1-3 |
| 2 | मानव मूल्यों का ह्रास एक सामाजिक समस्या | डॉ. रविदास अहिरवार | 4-8 |
| 3 | शाजापुर जिले में महिला उद्यमिता विकास में शासकीय योजनाएँ एवं गैर सरकारी संगठनों का योगदान | डॉ. जगदीश प्रसाद कुल्मी | 9-15 |
| 4 | आवागमन के साधनों का विकास बैगा जनजातियों का प्रवास (मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में) | डॉ. ज्योति सिंह | 16-19 |
| 5 | शैक्षिक वेब रेडियो : ज्ञान धारा, इग्नू के संदर्भ में | ह्रदेश श्रीवास्तव | 20-23 |
| 6 | भारत में चुनाव का महत्व | डॉ. जयश्री दीक्षित<br>अभिजीत सिंह | 24-25 |
| 7 | बैंकों द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण का प्रभाव : एक अध्ययन | ज्योति डावर | 26-33 |
| 8 | बैतूल जिले की चिचोली विकासखण्ड के बारे में सामान्य जानकारी | डॉ. सुधीर शर्मा<br>कु. कल्पना बिसन्दे | 34-37 |
| 9 | सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं आदिवासी मंडला में जंगल सत्याग्रह | मनोज कुमार कुशवाहा | 38-39 |
| 10 | योगेश्वर मत्स्येन्द्रनाथ | नाजिया सिद्दीकी | 40-41 |
| 11 | कृषि विपणन की सैद्धान्तिक अवधारणाएँ | डॉ. शिवेन्द्र शर्मा | 42-44 |
| 12 | योग ग्रँथों मे वर्णित अस्थमा रोग का–एक सैद्धान्तिक अध्ययन | डॉ. मनोज कुमार शर्मा<br>सुदर्शन देव आर्य | 45-49 |
| 13 | पंचायती राज संस्थायें और महिला सशक्तिकरण | विधानन्द सिंह | 50-53 |
| 14 | माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना | मनीषा पटेल<br>डॉ. अरुण मिश्र | 54-55 |
| 15 | हिन्दी में विशेषीकृत पत्रकारिता – सहकारी मीडिया और डिजीटलीकरण | नीलमेघ चतुर्वेदी<br>प्रो. प्रभुनारायण मिश्र | 56-59 |
| 16 | योग जीवन में सात्विक्ता की सार्थकता | डॉ. लालजीत पचौरी | 60-62 |
| 17 | निःशक्त व्यक्तियों हेतु छूट एवं सुविधाएँ : राज्य स्तर पर | अपर्णा श्रीवास्तव | 63-67 |
| 18 | समावेशी शिक्षा में समावेशन के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन एवं अनुदेशन अनुकूलन की महत्ता | डॉ. शकीला खान | 68-71 |

# निःशक्त व्यक्तियों हेतु छूट एवं सुविधाएँ : राज्य स्तर पर

अपर्णा श्रीवास्तव

अतिथि सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सदियों से निःशक्त व्यक्तियों को दीन-हीन एवं दया की दृष्टि से देखा जाता रहा है और धीरे-धीरे इनकी संख्या इतनी अधिक हो गयी है कि इन्हें एक अलग समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। परन्तु धीरे-धीरे समय के साथ निःशक्त व्यक्तियों को अवसर मिला और कठिन परिश्रम करके वे समाज में अपनी जगह बना सकें। समाज के कुछ लोग एवं इनके शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्य में लगे व्यावसायिकों को महसूस हुआ कि यदि इन्हें अवसर प्रदान किया जाय तो ये भी पढ़-लिख कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया और वर्ष 1995 में निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी के लिए निःशक्तजन अधिनियम बना जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी एवं लाभदायक योजनाएं लागू की गयीं। ये नियम एवं कार्यक्रम उनके शिक्षण-प्रशिक्षण, रोजगार तथा जीवन-यापन में सहायता पहुँचाते हैं। इन योजनाओं को जमीनी स्तर तक क्रियान्वित कर निःशक्तजनों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रत्येक जिले में विकलांग कल्याण विभाग कार्य कर रहा है।

**राज्य विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाएं** :- निःशक्तता निश्चित रूप से एक ऐसी विवशता है जिसमें निःशक्त व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है, किन्तु निःशक्तता के उपरान्त भी मनुष्य इस पर विजय पा सकता है यदि उसमें मनोबल हो और उसे समाज एवं शासन से सम्बल एवं प्रोत्साहन प्राप्त होता रहे। इस कथन को सत्य सिद्ध करने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है।

विकलांग कल्याण विभाग के मुख्य दायित्व निम्नलिखित हैं'-

1. विकलांग कल्याण के बारे में राज्य स्तरीय नीति का निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
2. आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर योजनाओं के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों का सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
3. निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय।
4. निःशक्त व्यक्तियों के विकास सम्बन्धी भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
5. निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण से सम्बन्धित कार्य हेतु अन्य विभागीय समन्वय स्थापित करना।
6. सेवाओं में आरक्षण एवं सेवायोजनाओं का समुचित पर्यवेक्षण।
7. निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायता तथा उपकरण।
8. निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण।
9. माता-पिता, गैर-सरकारी संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण सम्बन्धी प्रशिक्षण।
10. गैर-सरकारी संस्थाओं को निःशक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ कार्य करने हेतु सहायता एवं सहयोग।
11. राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्रों के उद्यमों एवं उनके संगठनों से निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए सहयोग प्राप्त करना।
12. निःशक्तता से सम्बन्धित योजनाएं, आय-व्यय का अनुमान तथा अन्य दायित्व सम्मिलित हैं।

**विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाएँ** :- निःशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सभी प्रदेशों में बृहद् रूप में स्वयं सेवी संगठन कार्यरत हैं। इन स्वयं-सेवी संगठनों के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा भी निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु स्थायी रूप से कुछ कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

1. राजकीय मूक बधिर विद्यालय
2. बालक/बालिकाओं के लिए राजकीय दृष्टिहीन विद्यालय
3. मानसिक रूप से अविकसित बालक-बालिकाओं हेतु राजकीय विद्यालय
4. शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए राजकीय विद्यालय
5. दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कर्मशाला
6. मूक बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र



Scanne ner

12/12